

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्रांक- वि०प्रा०गैर योजना-52/11

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
बी०आई०टी० सिन्दरी।
प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू।

विषय :-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण संस्थानों यथा-बी०आई०टी० सिन्दरी/रा०अ०महा०, पलामू/रा०अ०महा०, बोकारो/रा०अ०महा०, गोडड़ा के स्थापना व्यय हेतु मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा लघु शीर्ष-112-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-उप शीर्ष-45-स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण के तहत विभिन्न ईकाई में कुल रू० 24,07,50,000/- (रू० चौबीस करोड़ सात लाख पचास हजार) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में विषयांकित शीर्ष के अधीन निम्नलिखित इकाईयों में उपबंधित राशि में से आवंटन निम्न तालिका के अनुसार कुल रूपये 24,07,50,000/- (रू० चौबीस करोड़ सात लाख पचास हजार) मात्र का आवंटन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्र०	इकाई का नाम	बी०आई०टी० सिन्दरी	रा०अ०महा०, पलामू	कुल
1	वेतन (विपत्र कोड-43S22030011245000101)	16,11,00,000.00	1,62,00,000.00	17,73,00,000.00
2	संविदा भत्ता (विपत्र कोड-43S22030011245000108)	9,00,000.00	0.00	9,00,000.00
3	मानदेय (विपत्र कोड-43S22030011245000109)	40,00,000.00	0.00	40,00,000.00
4	देशीय यात्रा व्यय (विपत्र कोड-43S22030011245000213)	2,00,000.00	2,00,000.00	4,00,000.00
5	कार्यालय व्यय (विपत्र कोड-43S22030011245000315)	2,00,000.00	2,00,000.00	4,00,000.00
6	किराया, दर, कर (विपत्र कोड-43S22030011245000316)	30,00,000.00	0.00	30,00,000.00
7	कार्यालय उपकरण (विपत्र कोड-43S22030011245000317)	2,00,000.00	2,00,000.00	4,00,000.00
8	सेमिनार/समारोह/कार्यशाला (विपत्र कोड-43S22030011245000321)	1,00,000.00	1,00,000.00	2,00,000.00
9	आपूर्ति एवं सामग्री (विपत्र कोड-43S22030011245000323)	2,50,000.00	2,50,000.00	5,00,000.00
10	व्यवसायिक सेवाएँ (विपत्र कोड-43S22030011245000329)	50,00,000.00	50,00,000.00	1,00,00,000.00
11	पुस्तकालय (विपत्र कोड-43S22030011245000332)	5,00,000.00	3,00,000.00	8,00,000.00
12	दूरभाष (विपत्र कोड-43S22030011245000333)	1,00,000.00	1,00,000.00	2,00,000.00
13	विद्युत व्यय (विपत्र कोड-43S22030011245000337)	3,60,00,000.00	60,00,000.00	4,20,00,000.00
14	मोटर वाहन (विपत्र कोड-43S22030011245000441)	0.00	3,00,000.00	3,00,000.00

✓

1 जून 2025
2-903000
3
27/4/2025

15	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति (विपत्र कोड-43S22030011245000442)	50,000.00	0.00	50,000.00
16	विधि प्रभार (विपत्र कोड-43S22030011245000760)	3,00,000.00	0.00	3,00,000.00
कुल		21,19,00,000.00	2,88,50,000.00	24,07,50,000.00

02. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक- 285/बजट दिनांक- 25.03.2026 एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों के आलोक में प्रदान की जा रही है, अतएव राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त परिपत्रों में दिए गए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने की आपकी जबाब देही होगी।
03. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू होंगे।
04. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बोकारो एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोडड़ा में नियमित पदस्थापन होने तक पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वेतन तथा अन्य कार्य हेतु राशि का व्यय बी0आई0टी0 सिन्दरी को उपर्युक्त आवंटित राशि में से की जायेगी।
05. राशि के व्यय में जहाँ तक हो सके मितव्ययिता बरती जाय।
06. यह राशि स्थापना व्यय से संबंधित है।
07. वेतन मद में राशि की कमी होने पर पूर्ण औचित्य के साथ राशि की माँग यथा समय करेंगे।
08. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी की राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।
09. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जाएगी, राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
10. विपत्र पर बजट शीर्ष एवं विपत्र कोड सही एवं सुस्पष्ट रूप से अंकित करेंगे, ताकि महालेखाकार कार्यालय को वाउचर पोस्टिंग करने की असुविधा नहीं हो।
11. आवंटित राशि का दूसरे मदों में दुर्विनियोग या विचलन कदापि नहीं किया जाय।
12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से करेंगे।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, धनबाद/पलामू से की जायेगी।
14. व्यय की गई राशि का अंकेक्षण महालेखाकार, राँची एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) के क्षेत्रान्तर्गत रहेगा।
15. व्यय विवरणी टी0भी0न0 सहित संकलित कर महालेखाकार कार्यालय में संधारित आकड़ा से त्रैमासिकी लेखाओं का सत्यापन/मिलान सुनिश्चित करेंगे तथा इस पर व्यक्तिगत ध्यान देंगे।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- वि0प्रा0गैर योजना-52/11

/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद/पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- वि0प्रा0गैर योजना-52/11- 410

/राँची, दिनांक- 23/04/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, राँची/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा को एक अतिरिक्त प्रति के साथ गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.4.26
सरकार के प्रधान सचिव
पीएच